

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड बून्दी**

क्रमांक/अअ/नीलामी/2020-21/ 600-24

दिनांक: 11/2/2021

**नीलामी सूचना संख्या 02 वर्ष 2020-21**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड कार्यालय परिसर बून्दी में निम्नलिखित सूची अनुसार वाहनो की उनके सामने अंकित दिनांक को नीलामी की जावेंगी।


नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व इच्छुक बोली दाता को निम्न सूची अनुसार नीलामी की दिनांक को दोपहर 1.00 बजे तक खण्ड कार्यालय स्थल पर धरोहर राशि जमा करानी होगी। इसके बाद आने वाले किसी भी व्यक्ति / फर्म को नीलामी में शामिल नहीं किया जावेगा।

नीलामी शर्तों एवं सामान की जानकारी के बारे में किसी भी कार्य दिवस को खण्डीय कार्यालय में उपस्थिति होकर नीलामी से पूर्व जानकारी की जा सकती है।

क्रम संख्या	आईटम का नाम	संख्या	आरक्षित मूल्य (रूपयें में)	धरोहर राशि	नीलामी स्थल	नीलामी तिथि
1.	जिप्सी आर.पी.एफ-1980 (Approximate Purchase Value on the Books Rs.450000.00)	एक	25000/-	2000/-	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड बून्दी	03.03.2021 2 PM

नीलामी शर्त :-

- उपरोक्त नीलामी जहां है जैसी है स्थिति में की जावेंगी। नीलामी की दिनांक से पूर्व नीलामी वाहन की स्थिति की जानकारी खण्डीय कार्यालय/ नीलामी स्थल से प्राप्त कर सकता है तथा नीलामी के दिन निरीक्षण हेतु कोई समय नहीं दिया जावेगा। उक्त वाहन को नकारा घोषित किया जा चुका है।
- अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली छोड़ने से तुरन्त बाद छोड़ी गई बोली की राशि का 25 प्रतिशत नीलामी स्थल पर जमा कराना आवश्यक होगा। अन्यथा अमानत राशि जब्त कर बोली रद्द कर दी जावेंगी।
- बोली छोड़े जाने के तीन दिवस के अन्दर नीलामी (बोली) की शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। पूर्ण राशि जमा कराने के उपरान्त तुरन्त सामान को साईट से हटाना होगा।
- वाहन को उठाने व ले जाने बाबत, बोलीदाता को व्यक्तियों को कार्य पर लगाना आवश्यक होगा। यदि किसी प्रकार से दुर्घटना होती है तो विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- नीलामी फाईनल होने के उपरान्त अधिकतम बोलीदाता के अलावा सभी की धरोहर राशि उसी समय लौटायी जावेंगी।
- नीलामी निरस्त करने का समस्त अधिकार गठित समिति को होगा।
- वाहन को उठाने / ले जाने का समस्त हर्जा खर्चा बोलीदाता का होगा।
- नीलाम किये गये वाहन पर देय किसी भी प्रकार के कर (जी.एस.टी. वेट, आयकर, इत्यादि) के भुगतान का दायित्व सम्बन्धित बोलीदाता का होगा। एवं बोली दाता जी.एस.टी. का चालान जमा करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उसके पश्चात ही नीलामी वाहन को उठाने की स्वीकृति जारी की जावेगी।

  
**अधिशासी अभियन्ता**  
**जल संसाधन खण्ड बून्दी**